



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 11.03.2025

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 43/25 धारा 318(4)/318(3)/319(2)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण को नगदी व बैंक में रुपये जमा / निकासी करने के फार्म व एटीएम के बैंक फार्म सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.03.2025 को वादी श्री यशपाल पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता के साथ धोखाधड़ी करके लिफाफे बदलकर 11 हजार रुपये ले लिये गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 43/25 धारा 318(4)/318(3) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.फुरकान पुत्र अख्तर निवासी मुकर्रबपुर थाना कलियर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 2.भजन पुत्र मामराज निवासी मिर्जापुर खादर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 3.फारुक पुत्र कादर निवासी बुढढाहेडी थाना पथरी जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 4.रेशमा पत्नी अकरम निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 319(2)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 11.03.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.फुरकान 2.भजन व 3.रेशमा को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 2500 /- रुपये, बैंक जमा/निकासी के फार्म व एटीएम के बैंक फार्म बरामद किये गये । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.फुरकान पुत्र अख्तर निवासी मुकर्रबपुर थाना कलियर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड
- 2.भजन पुत्र मामराज निवासी मिर्जापुर खादर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
- 3.रेशमा पत्नी अकरम निवासी काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

2500 /- रुपये, बैंक जमा/निकासी के फार्म व एटीएम के बैंक फार्म

अभियुक्त फुरकान का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 39/19 धारा 420 भादवि थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 42/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 43/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 43/25 धारा 318(4)/318(3)/319(2)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी०एन०एस० थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

अभियुक्त भजन का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 858/07 धारा 60 आबकारी अधि० थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 43/25 धारा 318(4)/318(3)/319(2)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी०एन०एस० थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

अभियुक्ता रेशमा का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 43/25 धारा 318(4)/318(3)/319(2)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी०एन०एस० थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मृदुल कुमार सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. उ०नि० श्री कुलवीर सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3. उ०नि० श्री आदेश कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4. कां० 2334 भूषण कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
5. कां० 1059 अमरपाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात

दिनांक – 11.03.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 51/25 धारा 105 / 110 / 324(5) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.03.2025 को वादी श्री सोनू पुत्र स्व0 घनश्याम सिंह निवासी कनकपुर खुर्द थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 10.03.2025 को समय करीब 06.30 बजे वादी की भाभी श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 कलीराम व अंजार पुत्र ताहिर निवासी अलीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर जोकि बाबर पुत्र मकसूद निवासी मौ0 अलीपुरा अलीमुद्दीन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर की ई-रिक्शा UP20AT1854 में बैठकर जा रही थी । इसी दौरान नजीबाबाद की तरफ से आ रहे डंपर नं0 UP20BT8696 के अज्ञात चालक द्वारा ग्राम किशनपुर आँवला



ढाली पर मोहर सिंह के मकान के पास ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे निर्मला देवी व ई-रिक्शा चालक बाबर की मृत्यु हो गयी एवं अंजार गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 51/25 धारा 105 / 110 / 324(5) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त डंपर को कब्जे में लिया गया ।

कार्यवाही –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान डम्पर चालक शौकीन पुत्र नसीम निवासी मुझायदा पट्टी भागूवाला थाना मंडावली जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया, जिसे थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.03.2025 को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शौकिन पुत्र नसीम निवासी मुझायदा पट्टी भागूवाला थाना मंडावली जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त डंपर नं0 UP20BT8696

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
- 2.हे0कां0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर